Vol. 3, No. 2 April - June 2015 ISSN: 2321-5607

Socio - Economic Perspectives

A Quarterly Refereed Journal

Scanned by CamScanner

8.	School Social Workers Making Big Difference In Education System	- Ms. Arti Mann	66-74
9.	Status of Awareness among Youth Regarding Climate Change	- AnvitaVerma	75-87
10.	अमेरिका में ओबामा सरकार : बस आन्दोलन की देन	- डॉ. रविन्द्र सिंह राठौड़	88-95
11.	युवाओं में नैराश्य प्रतिक्रियाओं पर मद्यपान के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन	- विवेक महेश्वरी युवराज सिंह खंगारोत प्रद्युम्न सिंह शेखावत	96-101

Scanned by CamScanner

अमेरिका में ओबामा सरकार : बस आन्दोलन की देन

डॉ. रविन्द्र सिंह राठौड़*

प्रस्तावना

महात्मा गाँधी निःसन्देह बीसवीं शताब्दी के एक महान् व्यक्ति थे और वे मानवतावादी चिन्तक होने के साथ ही एक कर्मयोगी भी थे। इस मानव विश्व में गिनती के ही ऐसे चिन्तक या व्यक्ति हुए हैं, जिनके सिद्धान्त और व्यवहार में पूर्णतः एक रुपता रही हो। जो कोई भी गाँधीवादी अहिंसा के सिद्धान्त और व्यवहार को सही अर्थों में समझ सका, वह रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्षकर्त्ता, प्रथम अहिंसक आन्दोलनकारी महात्मा गाँधी थे। महात्मा गाँधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब से ही उन्होंने मन में इस सामाजिक दोश को मिटाने की ठान ली थी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों व काले नीग्रों से साधारण यूरोपीय भी द्वेष रखते थे, उन्हें कोसते थे, वे उन पर थूकते थे, प्रायः वे उन्हें पगडंडियों से बाहर कर देते थे, उन्हें 'मिस्टर कुली' और 'ब्लैक मैन' कहकर पुकारा जाता था और इन सब अपमानों से स्वयं गाँधी जी को भी कई बार गुजरना पड़ा, जिसमें न्यायालय से लेकर सड़क तक, सभी जगह रंग–भेद नीति को झेलना पड़ा। सर्वप्रथम भारत में आकर गाँधी ने दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंग–भेद की नीति और उन पर होने वाले अत्याचारों का खुलासा किया। इससे यह मुद्दा सामाचार पत्रों के माध्यम से पूरे देष में ही नहीं वरन् इंग्लैण्ड तक के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ।

भारत में रंगभेद की कांति–चमड़ी के रंग के आधार पर गोरा–काला कहकर जो व्यक्ति–व्यक्ति के बीच भेद–भाव किया जाता है, इसके विरुद्ध भी डॉ. राम मनोहर लोहिया ने आवाज उठाई थी। उनका विचार था कि चमड़ी का रंग गोरा हो या काला, उसे आदमी की सुन्दरता की कसौटी नहीं बनानी चाहिए। कोई भी आदमी सुन्दर या कुरूप अपने अच्छे–बुरे विचारों या व्यवहारों द्वारा होता है। फिर यह मान्यता कि गोरा पुरुष या गोरी औरत ज्यादा खुबसूरत होती है, यह एक वहम है। डॉ. लोहिया की यह मान्यता है कि भारत के साथ–साथ दुनिया के अन्य देश गोरी कही जाने वाली अंग्रेज जाति का वर्षों तक गुलाम रहा, यही कारण है कि काले (साँवले) लोगों के ऊपर शासन करने वाले शासक ने, जो कि गोरे चमड़े वाले थे, ने अपने रंग को श्रेष्ठ बताया और तभी से यह भावना हमारे मन में बैठ गयी है कि गोरी चमड़ी वाले लोग सुन्दर होते हैं।

डॉ. मार्टिन लूथर किंग का रंगभेद के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आन्दोलन–डॉ. मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका के 'अलाबामा' राज्य में स्थित माण्टगोभरी नगर में रंगभेद

---

* सहायक आचार्य, अहिंसा एवं शांति विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं।

Scanned by CamScanner

को मिटाने के लिए गाँधी विचारधारा पर आधारित अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी संज्ञा दी गयी। माण्टगोभरी नगर की नीग्रो जाति और वहां के गोरे जाति के बीच कई क्षेत्रों में शरीर के रंग के आधार पर भेद–भाव किया जाता था। नीग्रो लोग, जो कि अधिकतर काले होते थे, उन्हें गोरे लोग हमेशा नीचा दिखाने का प्रयत्न करते थे और दिखलाते भी थे। डॉ. मार्टिन लूथर किंग ने रंगभेद के बारे में जानकारी सर्वप्रथम बचपन में ही अपनी मां से प्राप्त की थी। उनके देश में (अमेरिका में) युगों पहले दास–परम्परा चलती थी, जिसका अन्त गृह–युद्ध (सिविलवार) के साथ हुआ। उसके बाद भी स्कूल, होटल, थिएटर, मोहल्ले आदि सभी रंगों के आधार पर अलग–अलग बने हुए थे। पानी के नलों पर इस बात की सूचना देने वाले साइनबोर्ड लगे रहते थे कि कौन–से स्थान गोरे लोगों के लिए हैं और कौन–से काले लोगों के लिए। यह भेद–भाव कोई स्वाभाविक विधान नहीं था, बल्कि मनुष्य कृत सामाजिक नियम था।

गोरे और नीग्रो, ये दोनों समुदाय मनुष्य–समाज के विभाजित अंग बने हुए थे। रंग के आधार पर भेद–भाव स्कूलों में भी चलता था। जबकि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सन् 1954 में स्कूलों में भेद–भाव मिटाने का निर्णय हो चुका था। मान्टगोमरी के गोरे लोगों ने जानबूझकर उस निर्णय को अमान्य कर दिया था। एक गोरा और एक नीग्रो, एक साथ टैक्सी में यात्रा नहीं कर सकते थे। वहां ऐसा कानून था कि एक गोरा ड्राइवर केवल गोरे यात्रियों को ही अपनी टैक्सी में ले जा सकता था। नीग्रो लोगों की अलग व्यवस्था थी। नीग्रो और गोरे मजदूर–मालिक की हैसियत से आपस में मिलते थे और एक ही बस में दो अलग–अलग निश्चित सिरों पर बैठकर यात्रा करते थे। इन दोनों समुदायों को अलग करने वाली एक निश्चित लक्ष्मण रेखा रहती थी। काले और गोरे लोग एक ही दूकान से सामान भी खरीदते थे, लेकिन काली चमड़ी वाले (नीग्रो) को मजबूर होकर तब तक प्रतीक्षा में खड़े रहना पड़ता था जब तक कि गोरी चमड़ी वाले (गोरे) सभी ग्राहक सामान लेकर चले नहीं जाते थे। काले को षायद ही कभी सौजन्य या आदरपूर्ण सम्बोधन मिलता था। शहर के अनेक हिस्सों में काले–गोरे लोगों की बस्तियां आपस में जुड़ी हुई थी और कहीं–कहीं तो वे आपस में ही काफी घुली–मिली भी थी, परन्तु दोनों ही समाज अपने पड़ोसियों की तरफ पीठ फेर लेते थे तथा सामाजिक और सांस्कृतिक आचार–व्यवहार के लिए वे अपने ही रंग वाले समुदाय के साथ मिलते थे।

अलाबामा राज्य के कानून और प्रशासन के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गयी थी, जिसमें कि बहुसंख्यक नीग्रो बहुत सारे राजनीतिक अधिकारों से वंचित रह जाते थे। जैसे की वोट देने का अधिकार बहुत कम नीग्रो लोगों को प्राप्त था। सन् 1940 तक नीग्रो

Scanned by CamScanner

मतदाताओं की संख्या पूरे अलाबामा राज्य में दो हजार से अधिक नहीं थी। उसके बाद कुछ तरक्की हुई और सन् 1958 तक नीग्रो मतदाताओं की संख्या 50 हजार तक पहुंची, परन्तु यह तादाद कुल वयस्क नीग्रो जनसंख्या का दस प्रतिषत भी नहीं थी।

माण्टगोमरी की बसों में लम्बेकाल से शांति संदिग्ध अवस्था में पड़ी थी। बसों में नीग्रों को प्रतिदिन अप्रतिष्ठापूर्ण रंगभेद की याद दिलायी जाती थी। गोरे ड्राइवरों में से यद्यपि कुछ तो मृदु व्यवहार वाले थे, फिर भी अधिकांश बहुत ही अशिष्ट एवं असभ्यतापूर्ण करते थे। उन ड्राइवरों के मुंह से नीग्रो यात्रियों के लिए 'निगर्स', 'काले जानवर' और 'काले बन्दर' जैसे अभद्र शब्दों को सुनना कोई असाधारण बात नहीं थी। रोज ही नीग्रो यात्री बस का किराया देने के लिए अगले दरवाजे से चढ़ते और किराया देने के बाद अन्दर से की पीछे क्योंकि सीटों पर नहीं जा सकते थे, इसलिए बस से नीचे उतरकर पिछले दरवाजे से चढ़ने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। कई बार तो ऐसा भी होता था कि नीग्रो यात्री से किराया प्राप्त करके बस आगे चल पड़ती थी और उस बेचारे काले यात्री को इतना समय भी नहीं मिलता था कि अगले दरवाजे से उतरने के बाद वह पिछले दरवाजे से बस में चढ़ भी सके। ऐसी हालत में उसका किराया भी गया और बस भी गयी। इससे भी निर्दय व्यवहार तो वह था, जब नीग्रो यात्रियों को बस में पड़ी खाली सीटों के बावजूद खड़े रहने के लिए विवश किया जाता था। इन सीटों पर लिखा रहता था–"केवल गोरे यात्रियों के लिए।" भले ही गोरे यात्री बस में न हों। दस व्यक्तियों के बैठने की अगली चार सीटों पर नीग्रों को बैठने की मनाही होती थी। अगर गोरे यात्री अगली सुरक्षित सीटों पर भरे हुए हों और कुछ दूसरे यात्री बस में और चढ़ जायें, तो बिना सुरक्षित सीटों पर बैठे हुए नीग्रों यात्रियों से कहा जाता था कि इन गोरे यात्रियों को बैठने दें और स्वयँ खड़े हो जायें। अगर नीग्रों यात्री सीट खाली करने से इन्कार कर दें तो कैद कर लिये जाते थे। इसलिए प्रायः नीग्रो यात्री बिना विरोध किये खड़े हो जाते थे।

दुकानों में रंगभेद की घटना का मार्टिन लूथर किंग ने उल्लेख किया है, जो घटना स्वयँ उनके और उनके पिता के साथ घटी थी। वे लिखते हैं–"मैं पिताजी के साथ शहर की एक जूतों की दुकान पर गया या और वहाँ की कुर्सियों की अगली पंक्ति में बैठ गया। कुछ देर बाद एक श्वेतरंग (गोरा) युवक आया और धीरे से हमें कहा–"मुझे आपकी सेवा करके बड़ी खुशी होगी, अगर आप यहां से उठकर पीछे के बेंचों पर चले जायें।" मेरे पिताजी ने कहा–इन कुर्सियों में भी तो कोई बुराई नहीं हैं। हम यहीं पर बड़ें आराम से हैं। उस युवक ने कहा मुझे अफसोस है, आपको यहां से हटाना ही होगा। मेरे पिताजी ने प्रत्युत्तर में कहा–"या तो हम यहीं बैठकर जूते खरीदेंगे या फिर जूते खरीदेंगे ही नहीं।" इसके बाद पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दूकान से बाहर चले गये।"

Scanned by CamScanner

डॉ. किंग कहते हैं कि उनके पिताजी ने कहा था–''मुझे इसकी परवाह नहीं कि कब तक मुझे इस भद्दी परम्परा के साथ जीना पड़ेगा, पर मैं इस परम्परा को भी स्वीकार नहीं करूँगा। सचमुच उन्होंने कभी नहीं सिर झुकाया।'' रंगभेद का एक और उदाहरण–रीव्स नाम का एक नीग्रो बैंड में ढोल बजाने का काम करता था, जो 16 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर एक गोरी युवती के साथ बलात्कार करने का आरोप था। एक अधिकारी उसे उस घर में ले गया, जहां मृत्यु–दण्ड दिया जाता था और उसे डराते हुए कहा कि अगर वह आरोप कबूल नहीं करेगा तो वहाँ पर जला दिया जायेगा। नीग्रो समुदाय के पिछड़ेपन का कारण तथा आंदोलन में भाग नहीं लेने के कारण उसकी अशिक्षा भी थी। अशिक्षित नीग्रो समुदाय में फैली हुई सुस्ती, आलस्य और षिथिलता उसके दुर्भाग्य का मजबूत कारण बना हुआ था। जहां थोड़े से नीग्रो रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, वहाँ बहुजन समाज इस अन्याय को आंखें बन्द करके चुपचाप बर्दाश्त कर लेता था। उन्होंने रंगभेद को न केवल एक परम्परा के रूप में स्वीकार कर लिया, बल्कि उनके साथ होने वाले अपमान और अप्रतिष्ठा को भी बिना विरोध किये ही मान्य कर लिया। डेक्सटर चर्च के पूर्ण पादरी श्री वर्नन जॉन्स एक दिन एक बस पर चढ़े तथा गोरे लोगों के लिए सुरक्षित आगे वाली सीट पर बैठ गये। बस चालक ने उन्हें पीछे जाने को कहा, परन्तु श्री जॉन्स ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। तब बस चालक ने उन्हें बस से उतर जाने का आदेश दिया। श्री जॉन्स ने उस आदेश को भी ठुकरा दिया। अन्त में जब बस चालक ने उनसे लिया हुआ किराये का पैसा वापस लौटाया, तब वह बस से उतरे। परन्तु उतरने के पहले बस में बैठे हुए अनेक नीग्रो लोगों से उन्होंने पूछा कि उनमें से कितने व्यक्ति बस चालक के इस दुर्व्यवहार के खिलाफ अपना प्रदर्शन जताने के लिए बस से उतरने को तैयार होंगे। बस में बैठे हुए एक भी नीग्रो ने उनकी बात का उत्तर नहीं दिया। कुछ दिन बार श्री जॉन्स ने चर्चा में आयी हुई एक महिला से, जो कि उस दिन बस में भी थी, पूछा कि आखिर उसने बस चालक के दुर्व्यवहार का विरोध क्यों नहीं किया? वह महिला बोली उसके पास बैठे हुए एक अन्य यात्री ने कहा था कि पादरी महोदय को तो पहले से ही यह जानना चाहिए था कि उनके बैठने का स्थान कौन–सा है? अशिक्षित नीग्रो लोगों के दब्बूपन का यह एक स्पष्ट उदाहरण है। नीग्रो समाज की उपेक्षित पूर्ण स्थिति के लिए नीग्रो नेताओं में आपसी फूट भी जिम्मेदार थी।

डॉ. मार्टिन लूथर के विचार में धर्म के बारे में ऐसा सोचना निश्चित ही बहुत संकुचित विचार है। डॉ. किंग के विचार में धर्म मनुष्य की केवल प्राथमिक आवश्यकताओं पर ही विचार नहीं करता, बल्कि वह जीवन के अन्तिम छोर तक पहुँचता है। जब धर्म का बुनियादी पहलू भुला दिया जाता है, तब वह मात्र नैतिक आचरण का एक प्रकार बन

Scanned by CamScanner

जाता है। फिर आत्मिकता बाहरी क्रिया–कांडों में उलझ जाती है और ईश्वर मनुष्य की अर्थहीन कल्पना का विषय बन जाता है। डॉ. किंग यह मानते हैं कि नीग्रो लोगों की अकर्मण्ता का बुनियादी कारण उनके अन्दर घर किया हुआ हीन भाव है। उसी के कारण से वे कभी अपने स्वाभिमान को प्रकट नहीं कर पाते थे। बहुत से लोगों के अवचेतन मानस में यह भी सवाल उठता था कि क्या वे इससे बेहतर अवस्था प्राप्त करने के हकदार भी हैं? उनकी आत्मा और मस्तिष्क रंगभेद की परम्परा के साथ इस तरह बंधे हुऐ थे कि उन्होंने अपने–आपको उसके अनुकूलन बना लिया था। रंगभेद की समस्या का यही सबसे दुःखद परिणाम था। इस रूप में रंगभेद केवल बाह्य रूप में ही कष्टदायक नहीं था, बल्कि वह नीग्रो समाज को मानसिक रूप से भी आहत कर रहा था। वह आत्मा को मार रहा था और व्यक्तित्व को बिखेर रहा था।

जब डॉ. किंग ने अश्वेत लोगों के विकास की राष्ट्रीय संस्था में काम करना शुरू किया तभी अलाबामा राज्य की 'मानव सम्बन्ध परिषद्' ने भी उन्हें आमन्त्रित किया। मिले–जुले रंग के लोगों की यह संस्था अलाबामा राज्य में मानवीय सम्बन्ध को सुधारने की दिशा में काम कर रही थी और उसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शैक्षिणक तरीकों को अपनाया था। यह संस्था सभी लोगों के लिए समान अवसर दिलाने का काम करने में काफी सचेष्ट थी। इस संस्था का आधारभूत सिद्धान्त यह था कि–'ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया है और उस ईश्वर ने हम सबको इस राष्ट्रीय जीवन को चलाने के लिए भेजा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार राष्ट्रीय जीवन में अपना हिस्सा अदा करने के लिए समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इन अधिकारों को किसी भी तरह सीमित करने का हकदार नहीं है। डॉ. किंग ने 'मानव परिषद्' की सदस्यता स्वीकार कर ली, जिसमें वे बाद में इसके उपाध्यक्ष पद पर भी आसीन हुए। इस संस्था के सदस्य गोरे लोग भी थे, जिनको अपने जातियों का विरोध सहना पड़ता था। दूसरी ओर, श्री बर्नन जॉन्स तथा श्री ई. डी. निक्सन जैसे कर्मठ व्यक्तित्व वाले अश्वेत, समाज सुधार कार्यों में जुटे हुए थे। श्री निक्सम आशाओं के प्रतीक थे और अलबामा राज्य की दीर्घकाल से दबी हुई जनता के लिए वे प्रेरणा के सूत्र थे।

इसी बीच रंगभेद की एक घटना घटी। वह यह थी कि हाईस्कूल में पढ़ने वाली एक किशोरी सुश्री क्लाडेट कोलिविन को बस से उतार दिया गया और गिरफ्तार करके हथकड़ी पहनाकर वह जेल भेज दी गयी। उसका दोष यही था कि उसने एक गोरे यात्री के लिए सीट छोड़कर खड़ा होना स्वीकार नहीं किया था। इस घटना ने नीग्रो समुदाय को झकंझोर डाला और ऐसी भेदभावपूर्ण बसों का सर्वथा बहिष्कार करने की बात उठने लगी। सुश्री कोलविन के प्रति किये गये अन्याय ने बहुत हद तक रंगभेद के

Scanned by CamScanner

विरुद्ध आन्दोलन को भड़का ही दिया था। आन्दोलन की शुरुआत में जो भी थोड़ी बहुत विलम्ब थी, बाधाएं थी, उनको श्रीमती रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी ने दूर कर, आन्दोलन का मार्ग बहुत ही जल्द प्रशस्त कर दिया।

वह माण्टगोमरी शहर में कपड़े सीने का काम करती थी। वह अपने दिनभर के नियमित काम के बाद वापस लौट रही थी। वह 'माण्टगोमरी फेअर' नाम की एक बहुत बड़ी दूकान में काम करती थी। वह बस में गोरे यात्रियों के लिए रखी गयी आगे की सीटों को छोड़कर पीछे की सीट पर बैठी थी। बस में बैठे उसे थेड़ी ही देर हुई ही थी कि उसे तथा तीन और नीग्रो यात्रियों को नये पढ़ने वाले गोरे यात्रियों को सीट देने के लिए खड़े होने का आदेश मिला। बस की सभी सीटें भरी हुई थी। श्रीमती रोजा पार्क्स दिनभर काम करने के कारण थकी हुई थी, अतः सीट छोड़ने का मतलब था खड़ा होकर ही यात्रा करना, जो उसके लिए कष्टदायक था। इसलिए उन्होंने सीट छोड़ने से इन्कार कर दिया। परिणाम सामने था, वह यह कि वह गिरफ्तार कर ली गयी। श्रीमती रोजा ने उठने के आदेश मिलते समय ही यह कह दिया था कि–"मैं अब और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकती।" उसका यह कार्य इस बात को प्रकट करता था कि मानवीय प्रतिष्ठा और उसकी स्वतंत्रता अब अधिक दिन तक बेड़ियाँ डालकर बन्द नहीं रखी जा सकती। वैसे श्रीमती रोजा पार्क्स द्वारा बस चालक के आदेश को नहीं मानने के बारे में गोरे लोगों ने तरह–तरह की अटकलें लगानी शुरू कर दी।

थोड़ी ही देर में श्रीमती पार्क्स की गिरफ्तारी की घटना पूरे नीग्रो समाज में टेलिफोन द्वारा और सीधे सम्पर्क के द्वारा फैल गयी। इस घटना से दुःखी होकर 'राजनैतिक महिला समाज' ने बस बहिष्कार का विचार प्रकट किया।

वह निर्णय इस प्रकार था

1. पाँचवी दिसम्बर सोमवार को षहर, स्कूल या अन्य किसी स्थान में जाने के लिए बस में मत चढ़ियें।

2. एक और नीग्रो महिला गिरफ्तार करके जेल में डाल दी गयी हैं, क्योंकि उसने बस में अपनी सीट को छोड़कर खड़े होने से इन्कार कर दिया था।

3. काम पर जाने के लिए, शहर जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए या और कहीं जाने के लिए सोमवार को बस में मत चढ़िये। अगर आपको काम कर पहुँचना है, तो टैक्सी से, किसी मित्र की कार से या पैदल जाइये।

नीग्रो लोगों द्वारा चलायी जाने वाली अठारह टैक्सी कम्पनियों को यह सलाह दे दी गयी कि वे लोग लगभग बस इतना ही किराया लेकर नीग्रो लोगों को अपने–अपने काम

Scanned by CamScanner

पर पहुँचा दें। टैक्सी कम्पनियों ने यह सलाह सहर्ष स्वीकार कर ली और अपना कर्त्तव्य पालन भी किया। पाँच दिसम्बर को बस बहिष्कार पूरी तरह से सफल हुआ। इससे डॉ. किंग का आन्दोलन को आगे बढ़ाने का और भी विष्वास बढ़ा। आठ दिसम्बर 1955 को माण्टगोमरी विकास संगम की ओर से बारह व्यक्तियों की एक 'समझौता–वार्ता–समिति' गठित की गई, जिसका प्रवक्ता डॉ. किंग को बनाया गया।

इसमें समझौता समिति की ओर से उक्त तीन माँगें रखी गयीं

1. बस ड्राइवरों से भद्रतापूर्ण व्यवहार का आश्वासन।

2. जो यात्री पहले आवें, वे पहले बैठें और नीग्रो यात्री बस में पीछे की ओर बैठें, इसका आश्वासन।

3. नीग्रो–बस्तियों में चलने वाली बसों में नीग्रो बस ड्राइवरों की नियुक्ति की जाय।

इस समझौता वार्ता के असफल होने के बाद नीग्रो टैक्सी कम्पनियाँ अपनी सेवा देने में इसलिए असमर्थ हो गयी कि पुलिस कमिश्नर की ओर से यह हिदायत दी गयी की टैक्सियों के लिए जो भाड़ा कानूनी तौर पर तय किया है, उससे कम किराया लेकर कोई भी व्यक्ति टैक्सी नहीं चला सकता है। जाहिर है, टैक्सी का किराया बस किराये से बहुत अधिक होता है, जिसे प्रतिदिन आम नागरिक वहन नहीं कर सकता। ''नीग्रो विकास संगम'' ने एक मीटिंग कर यह तय किया कि निजी टैक्सी वाले लोग नीग्रो लोगों को एक जगह से दूरी जगह पहुँचाने में सेवा प्रदान कर सकते हैं। नीग्रो समाज के बीच यह प्रस्ताव पहुँचते ही लगभग तीन सौ टैक्सी मालिकों ने अपना पूरा पता और टेलीफोन नम्बर समिति के पास भेजा और सेवा प्रारम्भ कर दी गयी।

आन्दोलन समाप्ति हेतु पुनः दो बार वार्ताएँ हुईं, लेकिन वे भी असफल सिद्ध हुईं। आन्दोलन के अहिंसात्मक होने के कारण पुलिस को आंदोलन के दमन का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। उधर नीग्रो लोगों के यातायात ठप्प करने के भी नये–नये उपाय किये जा रहे थे। इन्हीं नये उपायों में से एक यह था कि निजी टैक्सी–ड्राइवर ट्रेफिक के सभी नियमों का पालन करते हैं या नहीं। टैक्सी चालकों का 'चालक–लाइसेंस' देखा जाने लगा। टैक्सी की गति देखनी जाने लगी और कुछ न कुछ बहाना बनाकर लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। अन्ततः वह काला दिन भी आया जब डॉ. मार्टिन लूथर किंग को भी गिरफ्तार कर 'माण्टगोमरी सीटी जेल' के एक गन्दे कमरे में बन्द कर दिया गया। कुछ दिन मुकदमा चलने के बाद 22 मार्च 1956 को माण्टगोमरी न्यायालय के न्यायाधीश श्री यूजीन कार्टर ने डॉ. किंग के मुकदमें का फैसला सुनाते हुए कहा–''मैं यह घोषणा करता हूँ कि अभियुक्त हमारे राज्य के बहिष्कार विरोधी कानून तोड़ने के अपराधी हैं। सजा के रूप में अभियुक्त या तो न्यायालय के खर्च के अलावा पाँच सौ

Scanned by CamScanner

डॉलर का जुर्माना भरे या तीन सौ छियासी (386) दिनों के सश्रम कारावास की सजा भुगते।

डॉ. किंग ने कहा कि मैं एक घोषित अपराधी हूँ, परन्तु मझे अपने अपराध पर गर्व था। मैंने अपने लोगों के साथ मिलकर अन्याय के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन में भाग लिया, यही मेरा अपराध था। अपने लोगों के साथ मिलकर मैंने प्रतिष्ठा तथा स्वाभिमान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, यही मेरा अपराध था। अपने लोगों के लिए जीवन के अनिवार्य अधिकारों की मांग करने के लिए मैं उद्यत हुआ, यही मेरा अपराध था। स्वतंत्रता और परतंत्रता के साथ रहने और जीने का अधिकार अनिवार्य रूप से और समान रूप से भी सभी को प्राप्त होना चाहिए। मैं अपने लोगों को यह समझाना चाहता था कि न्याय के साथ सहयोग करना इस तरह हमारा नैतिक कर्तव्य है और यही मेरा सबसे बड़ा अपराध था।'' डॉ. किंग की गिरफ्तारी और सजा से आंदोलन की समाप्ति होने के बजाय उसको और अधिक गति तथा प्रचार मिला। साथ ही नीग्रो समुदाय में और ज्यादा एकता पैदा हुई। न्यायाधीश डॉ. कार्टर के फैसले ने केवल डॉ. मार्टिन लूथर किंग को ही दण्डित नहीं किया था, बल्कि मानो माण्टगोमरी के प्रत्येक नीग्रो को दण्डित कर दिया था।

अंततः 13 नवम्बर 1956 (मंगलवार) का शुभ दिन भी आया जबकि रंगभेद के विरुद्ध अश्वेत लोगों के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समाचार माण्टगोमरी पहुँचा। यह समाचार उसी समय माण्टगोमरी पहुँचा जब माण्टगोमरी के न्यायालय में बस बहिष्कार से सम्बन्धित मुकदमें की सुनवायी हो रही थी। 'नीग्रो विकास संगम' के प्रायः सभी सदस्यों को यह सुखद समाचार न्यायालय में ही मिला। डॉ. किंग लिखते हैं कि–''13 नवम्बर 1956 मंगलवार का दिन, माण्टगोमरी बस–बहिष्कार आंदोलन के इतिहास में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उस दिन दो ऐतिहासिक फैसले एक साथ सामने आये। एक फैसले के अनुसार राज्य के न्यायालय के द्वारा हमारी यातायात–व्यवस्था को ठप किये जाने का आदेश दिया गया था। दूसरे फैसले के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस व्यवस्था के मूल कारण, बसों में चलने वाले रंगभेद को समाप्त करने का आदेश दिया गया था।''

संदर्भ

1. डॉ. रवीन्द्र कुमार महात्मा गांधी और अहिंसा, कल्पाज पब्लिकेशंस, दिल्ली।
2. डॉ. जनार्दन पाण्डेय, स्वातंत्मोत्तर गांधी विचार गौतम प्रकाशन, भागलपुर।
3. डॉ. अनिल धर, पूजा शर्मा, गांधी दर्शन, शांति एवं मानवाधिकार, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं।
4. एम.के. गांधी, सत्य के प्रयोग (आत्मकथा) नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद।

Scanned by CamScanner